



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/सी0डी0-05(2017-18) 5113

दिनांक: 23.11.17

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा," उपशीर्ष के 01-वेतन इकाई में 400.00 लाख रु0, 03-मजदूरी इकाई में 0.675 लाख रु0 एवं 23-आपूर्ति एवं सामग्री इकाई में 2.28 लाख रु0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन आपके पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन 2017-18 का मांग, जिसमें नवनियुक्त वनरक्षियों के वेतनादि का राशि शामिल है एवं पत्र सं0-2672, दिनांक 26.09.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। आवंटित राशि से नवनियुक्त वनरक्षियों का भी वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
5. पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन में 01-वेतन इकाई में मांग की गयी राशि के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना से कल दिनांक 24.11.2017 के पूर्वाह्न 12:00 बजे तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।
6. मांग प्राप्त नहीं होने पर यह समझ लिया जायेगा की उनके स्थापनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BHAEDP/01-17-18/25EDP की प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापक:5वी0स्था0व्य0/सी0डी0-05(2017-18)

5113

दिनांक: 23/11/17

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.11.2017
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
झारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BHAEDP/01-17-18/25EDP

दिनांक - 23-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101010101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	75015	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	40,000,000.00 रुपये चार करोड़
2	S 19 240601101010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	75016	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	67,500.00 रुपये सड़सठ हजार पाँच सौ
3	S 19 240601101010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 01 - वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	75017	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	228,000.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार

योग:

40,295,500.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ दो लाख पिनचानवे हजार पाँच सौ

(SANJAY KUMAR)